


शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं



प्रतिनिधि पदाधिकारी शाहपुरा के पास भ्रूजकर लेख है कि मुलाबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पर्यटन की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
(सुनील कुमार शीमा)



निर्णय आज दिनांक 25-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

से एक कम होकर दालिखत दफतर हो।

प्राप्त करने हेतु पाठ्य किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्मित होकर संख्या परिवर्तन नहीं करते हुए कक्षा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चारावाही कर अर्जुनीय में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का होने की दशा में स्थान की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। प्रकरण में प्ररनगत आराजी की सीमाओं खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा किसी न्यायालय का स्थान पर पर्यराही करवाए। वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। दौरान कार्यवाही संबंधित विपक्षीय आराजी का मौके पर माप करवाते हुए प्राणीय की आराजी का प्राणीय के व्यय पर पर मौके शाहपुरा के खत की आराजी खसरा नंबर 633 रकबा 0.30 है, 634 रकबा 0.65 है एवं इससे लगती संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम खेड़ी खुर्द 40है0 निरडिया 03अ0निरक्षक मिडोलिया तहसील धारा 111 एवं 128 राजस्थान में राजस्व अधि. 1956 के प्राधानों का अनुपालन करते हुए प्राणीय के अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्राणीय अंतर्गत धारा 128, राजस्थान में राजस्व

—:आदेश:-

इस प्रकार प्राणीय वादगत आराजी खसरा नंबर 633 रकबा 0.30 है, 634 रकबा 0.65 है कुल किता 2 रकबा 0.95 है 0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी में की पर्यराही करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्राणीय हकदार प्रतीत होता है।